# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

क्रमांक:जेपीडी/ओएमडी/वाणिज्य /प्रे. 63 जयपुर, 12 जनवरी, 2012

## कार्यालय आदेश

बहुत बड़ी संख्या म नये कनेक्शन हेतु आवेदन लम्बित होना चिंता का विषय है एवं इस पर समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही किया जाना अविलम्ब आवश्यक है। लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत भी कनेक्शनों को सुनिश्चित समय अवधि में दिये जाने के सभी प्रयास किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में न केवल मांग पत्र जारी करने में लम्बे समय से विलम्ब हो रहा है बल्कि जमा किये जा चुके मांग पत्रों पर कनेक्शन देने की कार्यवाही बढ़ी मात्रा में लम्बित है जो कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं पर विपरीत प्रभाव डालती है। नये कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत समयावधि में कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रावधानों के अन्तर्गत करने के लिए, लम्बे समय से बढ़ी संख्या में लम्बित आवेदनों पर निम्न समयबद्ध योजना पर सभी संबंधित अभियन्ताओं/अधिकारियों को कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करना है।

1 एल.टी. सप्लाई में विभिन्न श्रेणियों के आवेदनों पर कार्यवाही

क अघरेलू, औद्योगिक, सार्वजनिक प्रकाश एवं मिश्रित भार श्रेणियां

I. ऐसे सभी आवेदन जो कि 31 दिसम्बर, 2011 तक प्राप्त हो चुके है उनके मांग पत्र 31 जनवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।

II. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 31 दिसम्बर, 2011 तक जमा है

1. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता नही है तो कनेक्शन 31 जनवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।
2. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है तो वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 15 फरवरी, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

III. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 31.01.2012 तक जमा हो जावें उनके लिए वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 29 फरवरी, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

IV. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 29.02.2012 तक जमा हो जावें उनके लिए वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

R.R No. 1201 Dt. 18/1/12
S.E. (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

ख. घरेलू श्रेणी

V. ऐसे सभी आवेदन जो कि 31 मार्च, 2011 तक प्राप्त हो चुके है उनके मांग पत्र 31 जनवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।

VI. ऐसे सभी आवेदन जो कि 30 सितम्बर, 2011 तक प्राप्त हो चुके है उनके मांग पत्र 15 फरवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।

VII. ऐसे सभी आवेदन जो कि 31.12.2011 तक प्राप्त हो चुके है उनके मांग पत्र 29 फरवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।

VIII. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 30 सितम्बर, 2011 तक जमा है

1. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता नही है तो कनेक्शन 31 जनवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।
2. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है तो वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 15 फरवरी, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

IX. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 31 दिसम्बर, 2011 तक जमा है

1. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता नही है तो कनेक्शन 15 फरवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।
2. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है तो वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 15 मार्च, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

X. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 31.01.2012 तक जमा हो जावें

1. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता नही है तो कनेक्शन 29 फरवरी, 2012 तक जारी कर दिये जावें।
2. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है तो वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

XI. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र 29.02.2012 तक जमा हो जावें

1. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता नही है तो कनेक्शन 15 मार्च, 2012 तक जारी कर दिये जावें।
2. यदि कनेक्शन हेतु नवीन वितरण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है तो वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

XII. ग्रामीण क्षेत्र के गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू/अघरेलू कनेक्शन चाहने हेतु आवेदन कर्ता को लिखित में सूचित करें कि क्या वे स्थापित किये जाने

वाले वितरण तंत्र हेतु पूर्ण खर्च वहन करने को सहमत है तब ही उन्हे स्ववित्त पोषित योजना के अनुसार कनेक्शन दिया जा सकेगा अन्यथा उनका आवेदन सूचना की तिथि से 30 दिवस में सहमति प्राप्त न होने पर बिना किसी अन्य सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। यदि वे अपना सहमति पत्र सहायक अभियन्ता कार्यालय में दे दें तो ऐसे आवेदनकर्ता को विद्युत कनेक्शन सहमति पत्र प्राप्त होने की तिथि से स्ववित्त पोषित योजना की प्राथमिकता के अनुरूप उनके स्वयं के खर्चे पर 30 दिवस में जारी कर दिया जावे ।

ग **एच.टी. सप्लाई में विभिन्न श्रेणियों के आवेदनों पर कार्यवाही**

I. 31 दिसम्बर, 2011 तक के लम्बित सभी आवेदनों हेतु मांग पत्र 31 जनवरी, 2012 तक जारी किये जावें

II. 31 दिसम्बर, 2011 तक जमा मांग पत्रों पर कनेक्शन देने की कार्यवाही 15 फरवरी, 2012 तक कर दी जावें।

2 सर्विस लाईन उपलब्ध न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को लिखित में सूचित करें कि यदि वे निर्धारित माप दण्डों पर निर्मित सर्विस लाईन स्वयं के खर्च से उपलब्ध करवादें तो उन्हे रू 30 प्रति मीटर की दर से राशि आगामी बिलों में रू 60 प्रतिमाह की दर से समायोजित कर दी जावेगी। ऐसे उपभोक्ता जो स्वयं सर्विस लाईन निर्धारित माप दण्ड की उपलब्ध करा दें, उनको कनेक्शन देने हेतु वरियता प्रदान की जावेगी।

3 लम्बित कनेक्शनों को जारी करने हेतु वितरण तंत्र की स्थापना के लिए यदि आवश्यक हो तो सी.एल.आर.सी. पर आवश्यक कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही भी उपखण्ड/खण्ड/वृत स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता तुरंत प्रभाव से देना सुनिश्चित करें।

4 उपरोक्त योजना बहुत बढ़ी संख्या में लम्बित कनेक्शन आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लागू की जा रही है। ताकि उपभोक्ताओं को तुरंत प्रभाव से राहत प्रदान की जा सके।

5 जहां पर लम्बित कनेक्शन 31 दिसम्बर, 2011 के पहले के नही है या बहुत कम संख्या में है उन पर अविलम्ब कार्यवाही कर तुरंत प्रभाव से लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 प्रावधानों के अनुरूप समय सीमा में कनेक्शन जारी कराने की कार्यवाही करें।

6 एल.टी. सप्लाई के लिए आवेदित सभी कनेक्शनों के लिए संबंधित अधिशाषी अभियन्ता व एच.टी. सप्लाई हेतु आवेदनों के लिए संबंधित अधीक्षण अभियन्ता प्रगति व प्रभावी कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगें एवं कनेक्शन हेतु स्वीकृति जारी कराना व वितरण तंत्र व कनेक्शन हेतु मैटिरियल व्यवस्था कराने के लिए भी

7 इस योजना पर दिनांक 16 जनवरी, 2012 से कार्यवाही सुनिश्चित की जावें एवं प्रत्येक माह की 7वी, 15वें, 23वें व माह के अंतिम कार्य दिवस तक साप्ताहिक प्रगति संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगें।

8 उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की संबंधित मुख्य/संभागीय मुख्य अभियन्ता सुनिश्चित करेगें व साप्ताहिक संकलित कार्य प्रगति निदेशक (तकनीकी) को प्रस्तुत करेगें।

9 उपरोक्त लम्बित आवेदनों के निस्तारण के साथ ही 1 मार्च, 2012 से प्राप्त सभी कनेक्शन हेतु आवेदनों पर लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित अधिशाषी अभियन्ता उत्तर दायी होगें।

12/1/12
(सुधांश पंत)
अध्यक्ष डिस्कॉमस

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
(COMMERCIAL WING)
No. AVVNL/Dy.CE(Comml.)/XEN-II/F-57(F)/2011/D. 3624 Ajmer, Dt 16/01/2012

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Zonal Chief Engineer (O&M), AVVNL, Jhunjhnu/ Udaipur/ Ajmer.
2. The Secretary (Admn.); AVVNL, Ajmer
3. The Chief Accounts Officer( Account/Audit/Revenue ), AVVNL, Ajmer
4. The Superintending Engineer (O&M), AVVNL, ----------------with--------- Nos. of ____________ spare copies for circulating among field officers.
5. The Superintending Engineer (M&P/Plan/MM/RDPPC), AVVNL, Ajmer/Udaipur/Jaipur.
6. The Superintending Engineer(IT), AVVNL, Ajmer for uploading the above circular on website.
7. The Addl.S.P. (Vig), AVVNL, Ajmer.
8. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer
9. The Executive Engineer ( ), AVVNL, ------------------------.
10. The Sr.Accounts Officer ( ), AVVNL,--------------------.
11. The Incharge of Legal Section AVVNL, Ajmer.
12. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
13. The TA to MD, AVVNL, Ajmer.
14. The PA to Chairman Discoms Jaipur.
15. The PA to MD, Johhpur Discom, Jodhpur.
16. The PA to Director (Finance / Technical), AVVNL, Ajmer.

13/1

(G.R. Choudhary)
Dy. Chief Engineer (Comml.)